

बिहार सरकार,
ऊर्जा विभाग।

कार्यालय आदेश

संख्या:-प्र0/ऊर्जा रा0स्था0-07/2017 05

पटना, दिनांक:- 25/04/2019

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 द्वारा पदाधिकारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष के पहली जनवरी से निर्धारित किये जाने के आलोक में ऊर्जा विभाग के निम्न पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2019 से उनके नाम के सामने स्तम्भ V में अंकित राशि वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ स्वीकृत की जाती है।

वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त दिनांक 01.01.2019 को स्तम्भ V में अंकित राशि/मूल वेतन देय होगी।

क्र0सं0	नाम/पदनाम	Level	दिनांक 01.07.2018 को मूल वेतन की राशि	01.01.2019 से वेतनवृद्धि के पश्चात भुगतये मूल वेतन की राशि
I	II	III	IV	V
01.	श्री ओम प्रकाश चौधरी, आप्त सचिव	09	53,100/-	54,700/-
02.	श्रीमती सुप्रिया कुमारी, आप्त सचिव	09	53,100/-	54,700/-

2. उक्त वर्णित किसी भी पदाधिकारी के वेतन भुगतान के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी को दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ के आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा, तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एक मुश्त कर ली जायेगी।

विश्वासभाजन,

60

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 239

पटना, दिनांक:- 25/04/2019

- प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(2) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(3) उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/सभी संबंधित पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।
25/04/2019